

II/दि. 25/अ. नू. 2/2018/0184

न्यायालय में— श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर म0प्र0
कैम्प रीवा संभाग रीवा (म0प्र0)

~~विलोपित / विलोपित~~

~~विलोपित / विलोपित~~

~~विलोपित / विलोपित~~

1. रामदीन आत्मज दुन्ना राठौर
2. कतकू आत्मज गंगा राठौर
3. लोकनाथ आत्मज गंगा राठौर मृत
वारिस श्रीमती गीता राठौर उम्र 45 साल पति लोकनाथ राठौर
4. बुद्धू आत्मज धनकू राठौर
5. रामदास आत्मज रामसेवक राठौर
6. ऐतू आत्मज खुमाना राठौर
7. बाबूलाल आत्मज जगदेव राठौर
8. भदरा आत्मज जगदेव राठौर
9. मुन्ना आत्मज सम्हारू राठौर



सभी निवासी ग्राम भेलमा, तहसील जैतहरी

जिला शहडोल वर्तमान जिला अनूपपुर म0प्र0

आवेदक

बनाम

अधीक्षक

पिता टिल्लू राठौर मृत

वारिस—

1. केमला राठौर उम्र 50 वर्ष पिता हेतराम राठौर
2. रमईया राठौर उम्र 48 वर्ष पिता हेतराम राठौर
3. मिटठू राठौर उम्र 45 वर्ष पिता हेतराम राठौर
4. लक्ष्मण राठौर मृत

वारिस—

- ए. उमरिहाईन राठौर उम्र 42 वर्ष पति लक्ष्मण राठौर
- बी. गुडडा राठौर उम्र 35 वर्ष पिता लक्ष्मण राठौर
- सी. पप्पू राठौर उम्र 23 वर्ष पिता लक्ष्मण राठौर
- डी. दादूलाल राठौर उम्र 44 वर्ष पिता लक्ष्मण राठौर

सभी निवासी ग्राम भेलमा, तहसील जैतहरी

जिला अनूपपुर म0प्र0

अनावेदक

निगरानी विरुद्ध कमिश्नर शहडोल संभाग
शहडोल के राजस्व प्रकरण क्रमांक
16/अ-74/1516 रामदीन बनाम हेतराम में
पारित आदेश दिनांक 25.07.2017।

मान्यवर,

मामले के तथ्य—

रामदीन बनाम हेतराम की अपील अपर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में

विचारधीन थी उक्त अपील को कमिश्नर न्यायालय में ट्रांसफर कर दी गई जिसकी

- 2 -
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला- अनूपपुर

मामला क्र० .।।।निग०/अनूपपुर/2018/0184/

रामदीन राठौर/केमला राठौर वगैरः

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.02.19	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक रामदीन राठौर वगैरः तथा उनके अभिभाषक श्री राजेन्द्र शर्मा अनुपस्थित।3. आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया। निगरानी मेमों के साथ संलग्न कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 16/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.07.17 का अवलोकन किया।4. आवेदक अभिभाषक के द्वारा निगरानी मेमों के साथ ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के आदेश दिनांक 25.07.17 में वर्णित तथ्यों का खण्डन करता हो। अतः निगरानी आवेदन सारहीन होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।	<p style="text-align: center;">(आर के जैन) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">15/2/19</p>